न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 68 / 2025 दायर दिनांक 27.03.2025
जीसीएमएस नं. 2025 / 81 फैसल दिनांक 02.07.2025

राज्य सरकार जरिये श्री हर्षिल कोडिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल माली, निवासी–भीलवाडा हाल महालक्ष्मी कचोरी सेन्टर, नवाडेरा, डूंगरपुर
2. श्री जगदीश शर्मा, प्रतिष्ठान मालिक, महालक्ष्मी कचोरी सेन्टर नवाडेरा, डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से – विभागीय पेरोकार
2. विपक्षीगण की ओर से – श्री जगदीश शर्मा, प्रतिष्ठान मालिक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए(1)(2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय राजस्थान सरकार द्वारा ''कन्जूमर केयर'' अभियान की निरन्तरता में दिनांक 27.01.2025 को जिले में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक श्री हर्षिल कोडिया बहमराह श्री हिमांशु डामोर की संयुक्त टीम के साथ विपक्षी के **प्रतिष्ठान महालक्ष्मी कचोरी सेन्टर, नवाडेरा, डूंगरपुर** का आकस्मिक निरीक्षण करने पर **विपक्षी के प्रतिष्ठान पर 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर** मय 0.3 कि.ग्रा. गैस का उपयोग **करते हुए पाया गया।** जो घरेलु गैस सिलेण्ड़रों क़े दुरूपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहैलना करना पाया जाने से संग्रहित **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 0.3 कि.ग्रा. गैस, मैसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, डूंगरपुर के मेनेजर श्री सुरेश वेरागी** को बुलवाकर रूबरू मौतबिरान एवं उपस्थित के समक्ष सिलेण्डर्स के एसआर नंबर, ग्रोस वेट, टेयर वेट एवं गैस सिलेण्डर में संग्रहित गैस का वेईग मशीन से तौल करवाकर फर्द तल पट्‌टी अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगी तैयार की गई एवं **1 घरेलु गैस सिलेण्डर** मय 0.3 कि.ग्रा. **गैस,** जब्त कर **मैसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, डूंगरपुर के मेनेजर श्री सुरेश** वेरागी को रूबरू मौतबिरान सुपुर्दगी में दिये जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा–6ए(2) के तहत राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिये नोटिस तलव किया गया।

प्रार्थी पेरोकार द्वारा प्रतिष्ठान के मालिक श्री जगदीश शर्मा को वतौर पक्षकार के रूप में नाम दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री लोकेन्द्रसिंह को पक्षकार के रूप में नाम दर्ज किया गया। विपक्षी की ओर से प्रतिष्ठान मालिक श्री जगदीश शर्मा, ने जवाव पेश किया कि श्री शंकरलाल माली मेरे प्रतिष्ठान महालक्ष्मी कचोरी सेन्टर पर मजदुरी करता था। जो वर्तमान में काम छोडकर चला गया है, तथा मैरे घर में प्रयोग किये जाने वाले सिलेन्डर के खत्म हो जाने पर उसे भरवाने हेतु उक्त खाली सिलेण्डर होटल/प्रतिष्ठान पर रखा गया था। मेरे द्वारा किसी प्रकार का उक्त सिलेण्डर का कोई दुरूपयोग नही किया गया है। मेरी कोई गलती नही रही है। अतः विपक्षी के विरूद्व कार्यवाही ड्रॉप करना फरमावे।

प्रकरण में बहस समायत की गई। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए जब्त शुदा गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए गैस सिलेण्डर का दूरूपयोग नही किया जाने एवं कार्यवाही ड्रॉप करने संबंधि निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में किये गये कथन व तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। अतएव इनका जवाब अमान्य किया जाता है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 0.3 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाया गया।** विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के **प्रतिष्ठान महालक्ष्मी कचोरी सेन्टर, नवाडेरा, डूंगरपुर** पर संग्रहित **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 0.3 कि.ग्रा. गैस** को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए(2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त **1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 0.3 कि.ग्रा. गैस** का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)